1302/दो-6 13

संख्या–201–का–3–2013

26(53) 2001
SC-225

प्रेषक,

पी0बी0सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक
उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर–डी0 अलीगंज लखनऊ।
2–सचिव,
लोकसेवा आयोग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3–प्रशासक,
उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक 06 मार्च ~~फरवरी~~,2013

विषय– कोषागारों में ई–पेमेण्ट लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (लेखा) अनुभाग–1के पत्र संख्या–ए–1– 961/दस– 2012–10 (28)/2011 दिनांक –31–1–2013 (संलग्नक सहित) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से वित्त (लेखा) अनुभाग–1 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी0बी0सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–201(1)/47–का–3–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि कार्मिक अनुभाग–4 तथा नियुक्ति अनुभाग–6 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के पत्र संख्या–ए–1–961/दस– 2012–10 (28)/2011 दिनांक –31–1–2013 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक यथोक्त।

आज्ञा से,

(पी0बी0सिंह)
अनु सचिव।

07/3/13

21.3.13

24.2.13

201/47-का-3-2013

संख्या ए–1–961/दस–2012–10(28)/2011

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2013

विषयः– कोषागारों में ई–पेमेण्ट लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–ए–1–5भा0स0/दस–2012–10(28)/2011, दिनांक 16 मई, 2012 एवं तद्क्रम में शासनादेश संख्या–ए–1–928/दस–2012–10(28)/2011, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माह दिसम्बर, 2012 के वेतन देयकों व पेंशन का भुगतान ई–पेमेण्ट के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए थे एवं अपरिहार्य परिस्थितियोंवश यदि कोई विभाग माह दिसम्बर, 2012 का वेतन ई–पेमेण्ट से भुगतान किए जाने में सक्षम नहीं होता है तो प्रत्येक दशा में माह जनवरी के वेतन का भुगतान ई–पेमेण्ट के माध्यम किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। तद्क्रम में आपके अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका होगा।

2– उक्त के क्रम में यह संज्ञान में लाना है कि वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से सम्बन्धित अपवादों को छोड़ते हुए) ई–पेमेण्ट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 01 अप्रैल, 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(एच० एल० गुप्ता)
विशेष सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

.....2

(3)

3— अतः वेतन एवं पेंशन के अतिरिक्त अन्य समस्त भुगतान भी ई—पेमेण्ट द्वारा किए जाने हेतु प्रकिया प्रारम्भ कर दी जाय और निश्चित रूप से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक इस कार्यवाही को पूर्ण कर लिया जाय। दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई—पेमेण्ट के माध्यम से किया जायेगा।

4— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सभी प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दें कि वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही ससमय पूर्ण कर लें।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या ए—1— 961(1)/दस—2012—10(28)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।